(80)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017–18 निगरानी

निगरानी–3465/2018/उज्जैन/भू.रा

जगदीश पिता निर्भयराम आयु–52 वर्ष,
धंधा–कृषि निवासी–ग्राम उंटवास तहसील बड़नगर जिला उज्जैन ....प्रार्थी

–––विरूद्ध–––

दिनांक 22/5/18 को प्रेष्य ... अधि. श्री आलोक शर्मा ...

1. चन्दाबाई पति रामचन्द्रजी पाटीदार
2. रामेश्वर पिता सिद्धनाथ पाटीदार

निवासीगण–ग्राम खरसौदखुर्द तहसील बड़नगर जिला उज्जैन ....प्रतिप्रार्थीगण

विषय– अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़नगर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रं. 5/अ–13/17–18 में पारित आदेश दिनांक 28–4–218 के पुनरीक्षण हेतु याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत।

22-5-18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुव़त्ति आदेश प़ष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील / 3465 / 2018 / **उज्जैन** / भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-6-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री द्‌वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार बड़नगर जिला उज्जैन के द्‌वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-4-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्‌वारा वर्तमान में फसल कटाई और परिवहन के कार्य को देखते हुये धारा 32 का आवेदन स्वीकार करते हुये आदेश दिये है कि आवेदन में वर्णित रास्ता यदि वर्तमान में बंद हो तो उसे खुलाया जाये ताकि फसल इत्यादि का आवागमन हो सके तथा प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	